33

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०–4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०–41

(लाइसेन्सड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

3

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 24 मार्च, 1987

चैत्र 3, 1909 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 446/सत्रह–वि0–1—1 (क)–2-1987

लखनऊ, 24 मार्च, 1987

अधिसूचना

विधि

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1987 पर दिनांक 22 मार्च, 1987 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1987 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1987

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1987]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1987 कहा जायगा।

(2) धारा 3 और 4 उन्तीस दिसम्बर, 1986 को प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी और शेष धारायें तुरन्त प्रवृत्त होंगी।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 की धारा 17 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 17 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"(ङङ) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्ट्रीकृत फर्म;"।

धारा 29 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 29 में, उपधारा (6) में, प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1986" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1987" रख दिय जायेंगे।

धारा 35 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 35 में, उपधारा (6) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1986" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1987" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

5--(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1986 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 1986

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
श्रीनाथ सहाय,
सचिव।

No. 446(2)/XVII-V-1--1 (Ka)-2-1987

Dated Lucknow, March 24, 1987

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sahkari Samiti (Sanshodhan) Adhiniyam, 1987 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 5 of 1987) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 22, 1987:

THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 1987

[U.P. Act no. 5 of 1987]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965

It is hereby enacted in the Thirty-eighth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 1987.

(2) Sections 3 and 4 shall be deemed to have come into force on December 29, 1986 and the remaining sections shall come into force at once.

Amendment of section 17 of U. P. Act no. XI of 1966

2. In section 17 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1), *after* clause (*e*), the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(*ee*) a firm registered under the Indian Partnership Act, 1932 ;"

Amendment of section 29

3. In section 29 of the principal Act, in sub-section (6), in the first proviso, *for* the word and figures "December 31, 1986" the word and figures "June 30, 1987" shall be *substituted*.

Amendment of section 35

4. In section 35 of the principal Act, in sub-section (6), in the proviso, *for* the word and figures "December 31, 1986" the word and figures "June 30, 1987" shall be *substituted*.

U. P. Ordinance no. 14 of 1986

5. (1) The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Second Amendment) Ordinance, 1986, is hereby repealed. Repeal and saving

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance, referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
S. N. SAHAY,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 193 सा० (विधा०)—(3294)—1987—850 (मैके०)।